प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.05.2024

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मोबाइल लूट की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 06 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी) व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण /कार्यवाही दिनांक 11.05.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गश्त / चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर मोबाइल लूट की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त अक्षय कुमार पुत्र सुरेश कुमार राघव निवासी मकान नं0 563 सी न्यायखन्ड 1 इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 29 बर्ष को गौर ग्रीन चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से लूट के 06 मोबाइल फोन (भिन्न- भिन्न कम्पनी) व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मै मोबाइल फोन रिपेयर का काम करता है। मै अपने अन्य साथी के साथ मिलकर राह चलते लोगों से मोबाइल फोन की लूट करता है। लूटे गये मोबाइल फोन को अभियुक्त चलते फिरते व्यक्तियों को सस्ते दामों मे बेच देते है। फोन को बेचकर मिले रुपयों को आपस मे बराबर- बराबर हिस्सा बाट लेते है। अभियुक्त के पास से बरामद मोबाइलों के सम्बन्ध मे बताया की यह मोबाइल फोन मैने ही लूटे है व मोटर साइकिल के बारे मे पूछताछ की गयी तो बताया कि लूट की घटना कारित करने के लिये मै अपने दोस्तों से उनकी मोटर साइकिल मांग कर लाता हूं और घटना करने के बाद वापिस कर देता हू , अगर किसी दिन कैमरे मे फोटो आये़ तो मेरे दोस्त फस जायेगो और मै बच जाउगा। जिस कारण मांग कर लायी गयी बाइको से ही लूट की घटना कारित करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अक्षय कुमार पुत्र सुरेश कुमार राघव निवासी म0 नं0 563 सी न्यायखन्ड 1 इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 29 बर्ष।

बरामदगी का विवरण

- कब्जे से लूट के 06 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी) व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा CMS इन्फो सिस्टम कम्पनी से 5,00,000/- रूपये (05 लाख) रूपये का गबन करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 5,00,000/- रूपये (05 लाख) बरामद

दिनांक 12.05.2024 को वादी श्री देवेन्द्र सिंह रावत पुत्र गोविन्द सिंह निवासी 11/19 साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र थाना लिंकरोड गाजियाबाद द्वारा एक लिखित तहरीर के आधार पर कम्पनी सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड का कर्मचारी सचिन चौहान पुत्र राजन सिंह चौहान निवीस म0नं0 70 खसरा न0 271 मूलचन्द एन्कलेव सिहानी गाजियाबाद द्वारा कम्पनी के केसेट जिसमे 500 रू0 के 1000 नोट कुल धनराशि पांच लाख रूपये गबन कर ले जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 12.05.2024 को ही उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त सचिन चौहान पुत्र रंजन सिंह चौहान निवासी म0 नं0 70 खसरा न0 271 मूलचन्द एन्कलेव सिहानी रोड थाना नन्दग्राम गाजियाबाद को वैशाली मैट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से CMS कम्पनी से गबन किये हुये 05 लाख रूपये बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं सीएमएस कंपनी में कस्टोडियन के पद पर काम करता हूं कम्पनी में कैश लोड करने वाली एक कैसेट होती है। मैं दूसरे कस्टोडियन की कैसेट को अपने बैग में चोरी छुपे रखकर अपने घर ले गया था घर जाते समय हिंडन नदी पर जाकर मैंने अपने बैग से कैसेट को निकाल कर देखा तो उसमें 500000/- रुपये थे। कैसेट को तोड़कर मैंने हिंडन नदी के पुल से नदी में फेंक दिया था तथा 5 लाख रूपये को मैने अपने बैग में रख लिया था आज मैं इन्हीं रूपयो को लेकर कही बाहर जाने की तैयारी में था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सचिन चौहान पुत्र रंजन सिंह चौहान निवासी म0न0 70 खसरा न0 271 मूलचन्द एन्कलेव सिहानीरोड थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- कब्जे से 5,00,000/- रूपये (05 लाख) बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

- थाना लिंकरोड पुलिस टीम।